



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी.एस. आइ. फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल.ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र.-छग./दुर्ग/चू.प.-10 / रायपुर/भाग-2

38 एमपीआर13008

दिनांक :-15/11/2018

प्रति,

श्री वैभव दीक्षित,
एजेन्ट एवं निदेशक,
जामूल सिमेन्ट वर्क्स,
ए.सी.सी. लिमिटेड,
जिला- दुर्ग, छ.ग-490024

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्गजिले में स्थित आपकी पथरिया चूना पत्थर लीज -1खदान क्षेत्रफल 36.001 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।
महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 03-10-2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री राधेश्याम राय, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 45 (5) (c)	While scrutiny of the Annual return 2017-18, It is observed that in the Cost of production is Rs 305.17per tonne. Mine to Plant transportation is included (Rs. 104.50/tonne). Which should be excluded from the cost of production.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7) के अंतर्गत (क) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ख) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अति शीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-by Email.

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. उप-महानिदेशक सांख्यिकी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।

(राजेश कुमार दास)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर